मादक पदार्थों की तस्करी पर रायगढ़ पुलिस कार्यवाही : गांजा तस्करी करते एक महिला समेत तीन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

❑ दो अलग-अलग स्थानों में पकड़े गए आरोपियों से 45 किलो गांजा, कार व एक बुलेट बाइक जब्त

❑ रायगढ़ साइबर सेल, थाना कोतवाली और जूटमिल पुलिस की संयुक्त कार्यवाही

रायगढ़ । विगत कुछ समय से उड़ीसा से होकर लैलूंगा के रास्ते गांजा तस्करी पर नकेल कसते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के कुशल नेतृत्व में विगत 4 महीनों में गांजा तस्करी पर 15 प्रकरण और 2 नशीली दवाओं की तस्करी पर कार्यवाही की गई है। इस प्रकार एनडीपीएस एक्ट के कुल 17 मामलों में 23 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है जिसमें करीब 155 किलो गांजा तथा 360 नग प्रतिबंधित सिरप और 525 नग प्रतिबंधित टैबलेट जब्त कर आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही कर सलाखों के पीछे भेजा गया है। इन मामलों में पुलिस द्वारा आरोपियों से परिवहन में प्रयुक्त 10 चार पहिया/दुपहिया वाहनों की जब्ती की गई है, जिन्हें राजसात की कार्यवाही करने प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय रायगढ़ को प्रेषित किया गया है।

तस्करों के ओड़िसा से गांजा लेकर लैलूंगा के रास्ते गांजा पार की घटनाओं को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार द्वारा लैलूंगा पुलिस को प्रकरण में "एंड टू एंड" प्रकरण के इन्वेस्टिगेशन के निर्देश दिए गए थे जिसमें गिरफ्तार तस्करों से प्राप्त जानकारी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन जारी रखा गया था जिसमें गांजा तस्करों के तार खास रायगढ़ शहर से जुड़े होने की जानकारी मिली जिसमें कुछ तस्करों के भारी मात्रा में अलग-अलग रास्तों से शहर में गांजा लाने और तस्करी के लिये रायगढ़ के अंदरूनी रास्तों का प्रयोग करने की सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं को मुखबिर के जरिए पुख्ता करते हुए एसएसपी रायगढ़ के दिशा निर्देशन पर कल शाम 4:00 बजे से सभी थाना प्रभारियों को शहर के प्रमुख चेकप्वाइंट और बाईपास पर सघन वाहन चेकिंग में लगाया गया था, रात्रि करीब 9:30 बजे कांशीराम चौक के पास जूटमिल पुलिस द्वारा उड़ीसा की ओर से बुलेट वाहन (सीजी 13 एएच 2071) पर एक व्यक्ति को बैग लटकाए आते हुए पकड़ा गया जिसके बैग में गांजा रखे होने की सूचना पर विधिवत कार्यवाही करते हुए बैग की तलाशी ली गई। बैग के अंदर एक बड़ा पैकेट में करीब 5 किलो गांजा रखा हुआ पाया गया जिसकी विधिवत जब्ती कर बुलेट मोटरसाइकिल के चालक विकास भाकल पिता रविचंद्र भाकल उम्र 24 साल निवासी भाकरोड थाना खीवसर जिला नागौर (राजस्थान) के विरुद्ध थाना जूटमिल में धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही करते हुए आरोपी विकास भाकल से 5 किलो गांजा कीमत रु.50,000 और गांजा परिवहन में प्रयुक्त बुलेट CG-13 AH- 2071 कीमत रु.120000 जुमला कीमत रु.1,70,000 की मशरूका आरोपी से जब्त की गई है।

इसी क्रम में वाहन चेकिंग में लगी कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा रात करीब 10.30 बजे सर्किट हाऊस रोड़ दीनदयाल कालोनी के पास स्लेटी रंग के कार में सवार एक महिला और एक पुरुष को रूकवाकर चेकिंग के संबंध में जानकारी दिया गया। कार में सवार महिला पुलिस को देखते ही हडबड़ाने लगी, वो स्वयं का स्वास्थ्य खराब होने का बहाना बनाकर तलाशी के लिए आनाकानी कर रही थी जिस पर पुलिस टीम को और संदेह हुआ और टीम द्वारा उसे कार्यवाही में सहयोग करने कहकर विधिवत वाहन की तलाशी ली गई। वाहन के डिक्की में टेप से लिपटा हुआ 8 पैकेट संदिग्ध पदार्थ रखा हुआ पाया गया, जिसके गांजा होने की पुष्टि हुई जिसका वजन कराने पर कुल 40 किलो पाया गया। पूछताछ पर वाहन चालक मनीष जाट पिता राजूराम उम्र 23 साल निवासी फिरोज थाना मुंडवा जिला नागौर राजस्थान तथा कार में बैठी महिला अपना नाम सुनीता छाबा पति ओमप्रकाश छाबा उम्र 44 साल निवासी गोरखा भगवानपुर थाना कोतरारोड़ जिला रायगढ़ बताये जिनके द्वारा अवैध तरीके से सेंट्रो कार में गांजा तस्करी करते पाए जाने पर आरोपियों से कुल 40गांजा कीमत रु.400000 तथा परिवहन में प्रयुक्त कार सीजी 11 ई- 0658 कीमत 400000 जुमला कीमती रु.8,00,000 जप्त कर आरोपी महिला सुनीता छाबा और मनीष राम पर थाना कोतवाली में धारा 20 (B) NDPS Act कार्यवाही कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार को अवगत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सायबर सेल और कोतवाली पुलिस को आरोपियों से बारीकी से पूछताछ कर जांच करने के निर्देश दिए गए जिसमें पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल का एनालिसिस करने पर आरोपी महिला सुनीता छाबा के अन्य गांजा तस्करों के साथ लगातार संपर्क कर जानकारी शेयर करने का पता चला और यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी महिला विगत कई महीनों से गांजा तस्करी के कार्य में लिप्त है जिसके द्वारा चोरी छिपे गांजा, डोडा चूरा बेचने की जानकारी मुखबिर द्वारा बताया गया है। आरोपिया के पति ओमप्रकाश छाबा को पिछले मार्च महीने में पिकअप में गांजा तस्करी करते समय बालांगीर, ओड़िसा पुलिस द्वारा पकड़ा गया जो वर्तमान में बालांगीर जेल में निरूद्ध है। आरोपिया सुनीता छाबा उसके पति के जेल जाने के बाद अपने रिस्तेदार मनीष को गांजा तस्करी करने रायगढ़ बुलायी। मनीष अपने गांव से विकाश भाकल (जूटमिल गांजा तस्करी का आरोपी) के साथ रायगढ़ आकर आरोपिया सुनीता छाबा के साथ मिलकर गांजा तस्करी में लगे हुए थे। सभी आपस में रिस्तेदार हैं, एक ही मकान पर रहा करते थे। गिरफ्तार आरोपिया सुनीता छाबा के गांजा तस्करों के रायगढ़ में गांजा सप्लाई की मेन कांटेक्ट पर्सन है। आरोपिया उड़ीसा के गांजा तस्करों से निरंतर संपर्क में होने की जानकारी मिली है। महिला के अपराधिक इतिहास की जानकारी ली जा रही है। आरोपी महिला के छत्तीसगढ़ के अन्य सीमावर्ती जिलों से तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है जिस पर सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारियों से जानकारी साझा किया गया है। इन्वेस्टीगेशन के दौरान आरोपियों के कई खातों में रुपए के लेनदेन की भी जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई है इस संबंध में बारीकी से विस्तृत जांच किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण एवं खास

विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने रायगढ़ को सक्रिय जिला शाखा के रूप में किया सम्मानित

रायगढ़। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की अध्यक्षता में विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज राजभवन में सक्रिय जिला शाखा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल द्वारा रायगढ़ जिला रेडक्रास को सक्रिय जिला शाखा के रूप में पुरुस्कृत किया गया। उक्त पुरस्कार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर ने प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि जिला रेडक्रॉस द्वारा रेडक्रॉस के सात सिद्धांतो के अनुरूप वर्ष में सराहनीय कार्य करने पर राज्य में सक्रिय जिला शाखा के रूप में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि अपने बेहतरीन टीम वर्क से रायगढ़ जिला रेडक्रॉस ने राज्य में सक्रिय जिला शाखा होने का गौरव हासिल किया है। राज्यपाल के हाथों रायगढ़ जिला रेडक्रॉस को यह सम्मान प्राप्त होने पर कलेक्टर सिन्हा ने पूरी टीम को बधाई दी है।

विश्व रेडक्रॉस दिवस पर पर्यावरण संरक्षण जागरूकता हेतु निकली सायकल रैली

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के दिशा-निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन पर रायगढ़ जिले में 8 मई विश्व रेडक्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में जिला कलेक्टोरेट कार्यालय से प्रात: 8 बजे अपर कलेक्टर राजीव पाण्डेय और जिला शिक्षा अधिकारी बी.बाखला द्वारा पर्यावरण संरक्षण जागरूकता हेतु सायकल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली जिला कलेक्टोरेट से प्रारंभ होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय (गाँधी प्रतिमा) के पास समापन किया गया। रैली में सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी /कर्मचारी शामिल रहे। उक्त दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर के निर्देशन में रक्त दान, स्वास्थ्य परीक्षण जाँच शिविर, निक्षय मित्र सम्मान समारोह एवं इससे संबंधित अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे है।

महिला को अकेली पाकर पड़ोसी युवक किया छेड़खानी, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 08.05.2023 को कोतवाली पुलिस द्वारा महिला से छेड़खानी के फरार आरोपी राहुल साव (उम्र 23 साल) निवासी नेतनागर गोड़पारा जूटमिल को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

थाना कोतवाली में 24 अप्रैल को महिला द्वारा आरोपी राहुल साव पर छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कर बतायी कि उसके पति और दूधमुंहे बच्ची के साथ कोतवाली क्षेत्र में किराये मकान पर रहती है। कुछ महीने पहले पडोस में रहने वाले युवक के घर उसका साथी राहुल साव आकर रहने लगा था। जान परिचय होने के बाद राहुल घर के छोटे-मोटे कार्य कर दिया करता था। दिनांक 15.04.2023 के रात पति नाइट शिफ्ट ड्यूटी पर चले गये, घर पर अपने बच्चे के साथ थी, रात्रि करीब 2 बजे राहुल दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलने पर राहुल इधर-उधर की बातें करने लगा और उसे अहसास हुआ कि पति घर पर नहीं है। तब राहुल गंदी नियत से धरपकड़ कर छेड़खानी करने लगा जिसे विरोध कर भगायी। पति के घर आने पर बतायी, दोनों राहुल के घर जाकर उसे पता किये। लोक लाज से घटना की रिपोर्ट थाने में नहीं की थी। महिला के आवेदन पर आरोपी राहुल साव पर छेड़खानी का अपराध दर्ज कर आरोपी का पतासाजी किया गया, जो अपराध कायम होने के बाद से फरार था। आज सुबह थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे को मिली मुखबिर सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी राहुल साव पिता रामलाल साव उम्र 21 साल निवासी ग्राम नेतनागर गोड़पारा थाना जूटमिल जिला रायगढ़ को उसके गांव से हिरासत में लेकर थाने लाया गया जिसे सीजेएम कोर्ट रिमांड पर पेश किया गया है।

109 अनाधिकृत निर्माण हुए नियमित, शासन की योजना के तहत की गई अनुशंसा : कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक

❑ शासन की योजना का लाभ लेकर अनाधिकृत निर्माण को करा सकते है वैध

❑ 120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर नहीं लगेगा कोई शुल्क, उससे अधिक होने पर क्षेत्रफल अनुसार निर्धारित की गई है राशि

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में आवासीय एवं गैर आवासीस अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें रायगढ़ निवेश क्षेत्र अंतर्गत कुल 109 प्रकरणों के नियमितीकरण हेतु अनुशंसा की गई। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा भी इस दौरान उपस्थित रहे।

अवैध निर्माण के नियमितीकरण हेतु शासन द्वारा छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन अधिनियम 2022 एवं नियम 2022 लागू किया गया है। इस नियम के तहत आवासीय एवं गैर आवासीय तथा भूमि उपयोग का परिवर्तन कर किए गए अनाधिकृत निर्माण को वैध कराया जा सकेगा। इसके लिए भवन मालिकों को नगर निगम कार्यालय के भवन विभाग में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ कुछ कागजात जैसे खसरा बी-1, बी-2, भवन अनुज्ञा आदि भी जमा करना होगा। अब तक प्राप्त नियमितीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के प्रकरण बनाकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भेजा गया। जिसके पश्चात इन प्रकरणों पर समिति की बैठक में निर्णय लेकर नियमितीकरण (वैध घोषित करने) की कार्यवाही की गई।

प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन द्वारा मापदंड निर्धारित किया गया है। इनमें आवासीय प्रयोजन हेतु अनाधिकृत निर्माण में 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर निर्मित भवनों पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, किन्तु 120 वर्ग मी.से 240 वर्ग मी.क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 240 से 360 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा 360 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 300 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क की गणना की जाएगी। इसी प्रकार व्यावसायिक भूखण्डों के नियमितीकरण तथा भू उपयोग परिवर्तन के लिए भी मापदण्ड निर्धारित किए गए है।

नियमितीकरण के लिए इनसे कर सकते हैं संपर्क- नियमितीकरण से संबंधित जानकारी लेने एवं नियमितीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए निगम के उप अभियंता मुन्ना ओझा मोबा. नंबर 7389810253, सहायक अभियंता सूरज कुमार देवांगन मोबा. नं.87702-86364 एवं लिपिक प्रदीप तिवारी 7987112918 पर संपर्क कर सकते हैं।

कलेक्टर सिन्हा ने जनचौपाल में सुनी जनसामान्य की समस्याएं, अधिकारियों को दिए आवेदनों के त्वरित निराकरण के निर्देश

❑ कलेक्टर सिन्हा ने राम प्रसाद को जनचौपाल में मौके पर दिया श्रवणयंत्र

रायगढ़। तहसील खरसिया के ग्राम परसापाली निवासी रामप्रसारद सारथी श्रवण यंत्र की मांग को लेकर जनचौपाल पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि काफी दिनों से सुनाई नही दे रहा है, डॉक्टर से जांच उपरांत भी लाभ नही मिला, जिससे उन्हे सुनने में समस्या हो रही है, उन्होंने कलेक्टर सिन्हा से श्रवण यंत्र प्रदान करने हेतु निवेदन किया। कलेक्टर सिन्हा ने समाज कल्याण विभाग को श्रवण यंत्र के लिए निर्देशित किया। जिसके पश्चात उन्हे मौके पर कलेक्टर सिन्हा ने श्रवण यंत्र प्रदान कर कान में लगाने को कहा और उनसे पूछे कैसे अब बने सुनावत हे कि नही, सारथी ने कहा अब पहली ले बने सुनावत हे, इसी प्रकार उन्होंने उनसे चर्चा भी की।

जनचौपाल में रायगढ़ के सोनकर पारा निवासी बिलाशी चौहान ठेला लगाकर व्यवसाय करने आर्थिक सहायता के लिए आवेदन लेकर पहुंची थी, उन्होंने बताया कि पांच सदस्यों का परिवार है एवं आय का कोई साधन नहीं हैं। उन्होंने कलेक्टर सिन्हा से कहा कि परिवार के भरण-पोषण के लिए स्वयं का व्यवसाय करना चाहती है। जिस पर कलेक्टर सिन्हा ने अंत्यावसायी विभाग को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए व्यवसाय हेतु शीघ्र लोन प्रदान करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में राजीव गांधी नगर निवासी जगत राम पास बुक पुराना होने एवं राशि अहरण के समय अंगूठे का निशान नहीं आने के संबंध में आवेदन लेकर आए थे, उन्होंने बताया कि पासबुक पुराना हो गया है। साथ ही अंगुठे का निशान नहीं आने से वे अपने पेंशन की राशि नही निकाल पा रहे है, बुजुर्ग की समस्या को देखते हुए कलेक्टर सिन्हा ने लीड बैंक अधिकारी को तत्काल आवेदन का निराकरण के निर्देश दिए। इसी प्रकार ग्राम पंचायत पतरापाली पूर्व वार्ड क्रमांक 15 एवं 16 के वार्डवासी जल समस्या के संबंध में आवेदन लेकर आए थे, उन्होंने बताया कि वार्ड में पेयजल एवं निस्तारी में समस्या हो रही है। कलेक्टर सिन्हा ने ईई पीएचई को समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। वार्ड क्रमांक 12 निवासी प्रभा ठेठवार इलाज हेतु आर्थिक सहायता के लिए आवेदन लेकर पहुंची थी, उन्होंने बताया कि माता-पिता दोनों का देहांत हो गया है। डॉक्टर के पास इलाज करवाने गयी थी, डॉक्टर द्वारा 2 लाख खर्च बता रहे है, उनके आयुष्मान कार्ड से केवल 50 हजार का मदद मिल पा रहा है, उन्होंने अतिरिक्त राशि के लिए कलेक्टर सिन्हा से निवेदन किया। कलेक्टर सिन्हा ने आवेदन पर उनके इलाज के लिए सीएमएचओ को निर्देश दिए। ग्राम पंचायत लामीदरहा के ग्रामवासियों ने पक्की सड़क की मांग को लेकर जनचौपाल पहुंचे थे, ग्रामवासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत लामीदरहा के आश्रित ग्राम आमापाल एवं पंचायत में पक्की सड़क नही होने से आने-जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन्होंने रेगड़ा रोड मुख्य मार्ग से लामीदरहा-आमापाल तक सड़क निर्माण के लिए निवेदन किया। कलेक्टर सिन्हा ने आवेदन के निराकरण के लिए जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया। इसी प्रकार आज आयोजित जन चौपाल में पेंशन, राशन, राजस्व, चिकित्सा, पेयजल, भू-अर्जन, विद्युत, शिक्षा, पेंशन, राशन आदि के कुल 97 आवेदन आए थे। कलेक्टर सिन्हा ने संबंधित विभागों को प्राप्त आवेदनों की जांच कर तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजीव पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर डीआर रात्रे एवं जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

असामयिक मृत्यु के 7 प्रकरणों में वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़। अनुविभाग खरसिया एवं धरमजयगढ़ में 7 व्यक्तियों की प्राकृतिक आपदा के तहत असामयिक मृत्यु होने पर कलेक्टर रायगढ़ के अनुमोदन पश्चात संबंधित एसडीएम द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील खरसिया के ग्राम-बासनपाली निवासी मनीराम बंजारे की 22 अक्टूबर 2022 को तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी अंजली बंजारे को 4 लाख रुपये, ग्राम-दर्रामुड़ा के मोहन लाल निषाद की 19 अगस्त 2022 को नदी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी सुन्दरमती निषाद को 4 लाख रुपये एवं ग्राम-बाम्हनपाली के सुखदेव सिदार की 4 अक्टूबर 2022 को तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी समुन्द कुंवर उर्फ सुमन कुंवर को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील धरमजयगढ़ अंतर्गत ग्राम-ससकोबा के प्रकाशचंद राठिया की 24 अक्टूबर 2022 को आकाशीय बिजली गाज गिरने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी सुमित्रा बाई को 4 लाख रुपये, ग्राम-रैरूमाखुर्द की बुढ़ी सिंह की 24 सितम्बर 2022 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पुत्र धीरन को 4 लाख रुपये, ग्राम-ससकोबा के उर्मिला राठिया की 10 अक्टूबर 2022 को आकाशीय बिजली गाज मारने से मृत्यु होने पर सुमित्रा बाई को 4 लाख रूपये तथा ग्राम-ससकोबा के लालचंद राठिया की 10 अक्टूबर 2022 को आकाशीय बिजली गाज मारने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी चम्पाबाई को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

गोठान की महिला स्व-सहायता समूह सब्जी उत्पादन से हो रही आत्मनिर्भर

❑ आर्थिक स्तर में हुआ सुधार, बच्चों को भी दिला रही अच्छी शिक्षा

रायगढ़। गांव की रहने वाली महिलाएं कल तक सिर्फ चुल्हा-चौका में ही सीमित रहती थी, लेकिन आज वे शासन की योजना का लाभ उठाते हुए गौठान से जुड़कर समूह की महिलाएं कठोर परिश्रम कर अपनी व अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए बेहतर स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ रही हैं। कुछ ऐसी ही बानगी देखने को मिली ग्राम-बगुडेगा की लक्ष्मी स्व-सहायता समूह की महिलाओं में, जिन्होंने आलू फसल उत्पादन कर एक साल में 70 हजार रुपये का लाभ अर्जित की है।

उल्लेखनीय है कि लैलूंगा विकासखण्ड के ग्राम-बगुडेगा के गौठान में 10 सदस्यों की लक्ष्मी स्व-सहायता महिला समूह है। जिन्होंने शासन से मिली प्राप्त राशि से वर्ष 2022-23 में 2 एकड़ में आलू फसल की खेती की और उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए फसल उत्पादन में जैविक खाद का उपयोग भी किया किया, जिससे फसल भी अच्छी हुई। समूह की महिलाओं की मेहनत रंग लायी। उनके द्वारा लगाई गई आलू फसल को स्वास्थ्यवर्धक व पौष्टिक होने के कारण आसपास के गांव के अधिकांश लोग उनसे खरीदी किए। वहीं उन्होंने हाट-बाजार में भी विक्रय कर अच्छी आमदनी प्राप्त की। लक्ष्मी स्व-सहायता महिला समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि गौठान से जुडने एवं सब्जी उत्पादन से मिले आय से उनके जीवन स्तर में भी काफी सुधार हो रहा है। साथ ही हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिला रही है। समूह की महिलाओं को वर्ष 2021-22 में भी गौठान में वर्मी कम्पोस्ट निर्माण में बेहतर लाभ प्राप्त हुआ था।

पूंजीपथरा के मां काली अलायज कंपनी के नाम से ई-वे बिल जारी कराकर अन्य प्लांटों में माल सप्लाई कर रही थी ओडिसा की कंपनी, ट्रक का ड्रायवर गिरफ्तार

❑ थाना पूंजीपथरा में धोखाधड़ी की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज, पुलिस कर रही धोखाधड़ी की विस्तृत जांच

रायगढ़। पूंजीपथरा पुलिस द्वारा ट्रक वाहन क्रमांक MP20 ZE 4475 के चालक सुरेन्द्र कुमार यादव निवासी दमोह (म0प्र0) को आज मां काली अलायज उद्योग प्रायवेट लिमिटेड, पाली के नाम से जारी ई-वे बिल का छल पूर्वक फर्जी तरिके से उपयोग करने संबंधी धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मां काली अलायज कंपनी के मैनेजर द्वारा उनके कंपनी के नाम पर चालक द्वारा ओड़िसा की कंपनी के कर्मचारियों से सांठगांठ कर ई-वे बिल जारी किये जाने की जानकारी देकर 06 मई को थाना पूंजीपथरा में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था।

जानकारी के मुताबिक वस्तुओं का एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर या बाहर आवागमन ई-वे बिल के जरिए होता है। GST के तहत इलेक्ट्रॉनिक रोड परमिट द्वारा 50,000 से अधिक राशि के वस्तुओं के आवागमन के लिए विक्रेता और खरीददाता को ई-वे बिल की आवश्यकता होती है।

धोखाधड़ी को लेकर थाना पूंजीपथरा अंतर्गत ग्राम पाली स्थित कंपनी मां काली अलायज उद्योग प्रायवेट लिमिटेड के मैनेजर प्रशांत कुमार नायक बताया कि 04 अप्रैल के सुबह प्लांट में वाहन क्रमांक एम.पी. 20 जेड.ई. 4475 का चालक सुरेन्द्र यादव द्वारा वाहन ट्रक में आयरन पिलेट लेकर आया था। कंपनी में कार्यरत सुरक्षा गार्ड के द्वारा वाहन एन्ट्री कर बताया कि स्नेहा मिनीरल कम्पनी ओडिसा से कम्पनी में 35 टन आयरन पिलेट माल लेकर आया है परन्तु ड्रायवर के पास ट्रांसपोर्टर का बिल्टी कापी एवं वजन कांटा पर्ची नहीं है। तब जाकर चेक किया गया तो पता चला कि स्नेहा मिनीरल कम्पनी ओडिसा से मां काली अलाएज कंपनी का किसी प्रकार से सौदा नहीं है। ड्रायवर के पास पाये गये ई-वे बिल से पता चलता है कि स्नेहा मिनीरल कंपनी उडीसा से ड्रायवर माल लेकर अन्यत्र कहीं फर्जी तरिके से बिक्री किया है जिस कारण मां काली अलायज उद्योग प्रायवेट लिमिटेड, पाली को GST के तहत नुकसान हुआ। कंपनी के मैनेजर के आवेदन पर थाना पूंजीपथरा में वाहन क्रमांक एम.पी. 20 जेड.ई. 4475 का चालक सुरेन्द्र यादव पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कराया गया।

विवेचना दरम्यान कल शाम आरोपित ड्रायवर सुरेन्द्र यादव को पूंजीपथरा पुलिस द्वारा पतासाजी कर मुखबिर सूचना पर हिरासत में लिया गया जिससे कड़ी पूछताछ में जानकारी मिला कि इसके पहले वह 02 अप्रैल 2023 को भी मां काली कंपनी के नाम से ई-वे बिल जारी करवाकर दो गाडियां में आयरन पिलेट अन्यत्र कंपनी में खपाया है। आरोपी सुरेन्द्र यादव के ओड़िसा की कंपनी के कर्मचारियों से सांठगांठ कर ई-वे बिल जारी कराने की जानकारी मिली है। वाहन क्र0 MP20 ZE 4475 का चालक आरोपी सुरेन्द्र कुमार यादव पिता जमुना प्रसाद यादव उम्र 31 साल निवासी बरपाली थाना सानोदा जिला सागर (MP) वर्तमान पता चैनपुरा वार्ड क्रमांक 05 थाना कोतवाली जिला दमोह (MP) से ट्रक मय 35 टन आयरन पिलेट मय कागजात जप्त कर आरोपी को धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480